भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
राज्य सभा
तारांकित प्रश्न संख्या-*124
बुधवार, 03 जुलाई, 2019/12 आषाढ़, 1941 (शक)

समूह 'क', 'ख', 'ग' और 'घ' के पदों के लिए रोजगार संबंधी आंकड़े

*124. प्रो॰ मनोज कुमार झाः

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विभिन्न सरकारी विभागों में मई, 2014 से मई, 2019 के बीच समूह 'क', 'ख', 'ग' और 'घ' के पदों के लिए कुल कितने अभ्यर्थियों को सरकारी नौकरी की पेशकश की गई;

(ख) विभिन्न सरकारी विभागों में समूह 'ग' और 'घ' के कुल कितने पद संस्वीकृत हैं और इनमें से समूह 'ग' और 'घ' के रिक्त पदों से संबंधित आंकड़े क्या हैं; और

(ग) असंगठित क्षेत्र में नवंबर, 2016 से मार्च, 2018 के बीच और जून, 2004 से मार्च, 2009 के बीच रोजगार वृद्धि के आंकड़ों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) से (ग): एक विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

*

समूह 'क', 'ख', 'ग' और 'घ' के पदों के लिए रोजगार संबंधी आंकड़े के संबंध में प्रो॰ मनोज कुमार झा द्वारा पूछे गए राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या *124 के भाग (क) से (ग) के लिए दिनांक 03.07.2019 को दिए जाने वाले उत्तर में संदर्भित विवरण।

(क): सेवानिवृत्ति, पदोन्नति, त्यागपत्र, स्थानांतरण, अधिकारियों/कर्मचारियों की मृत्यु, नए पदों के सृजन आदि के कारण उत्पन्न होने वाली रिक्तियों के लिए अभ्यर्थियों को सरकारी रोजगार दिया जाता है। इन रिक्तियों को संबंधित मंत्रालय/विभाग/संगठन द्वारा संगत पदों हेतु भर्ती नियमों में प्रावधानों के अनुसार भरा जाता है। इससे संबंधित आंकड़ों का रख-रखाव केंद्रीय रूप से नहीं किया जाता है। तथापि, 2014-19 के दौरान संघ लोक सेवा आयोग एवं कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से अभ्यर्थियों को 2,45,470 सरकारी रिक्तियां/रोजगार प्रस्तुत किए गए। इन दो भर्ती अभिकरणों के अलावा अन्य अभिकरण हैं, जैसे रेलवे भर्ती बोर्ड, बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान (आईबीपीएस) आदि, जो सरकारी रिक्तियों/रोजगार हेतु भर्ती करते हैं।

(ख): छठे केंद्रीय वेतन आयोग के कार्यान्वयन के उपरांत समूह घ को समूह ग में एकीकृत (वर्गीकृत) कर दिया गया है। सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/ विभागों में 01.03.2018 तक समूह ग के 33,47,498 संस्वीकृत पद, 27,73,209 आसिन कर्मचारियों की संख्या तथा 5,74,289 रिक्त पद थे। सरकार ने 2016 से समूह ख एवं समूह ग (अराजपत्रित) की भर्ती प्रक्रिया को ऐसे पदों में साक्षात्कार की बाध्यता को हटाकर इसे सरल एवं अधिक पारदर्शी बना दिया है।

(ग): अनौपचारिक क्षेत्र में रोजगार 2004-05 के दौरान एनएसएसओ के 61वें दौर के अनुसार 77.5 प्रतिशत था, 2009-10 के दौरान एनएसएसओ के 66वें दौर के अनुसार 71.1 प्रतिशत था तथा 2017-18 के दौरान राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा 2017-18 में आयोजित किए गए आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) के अनुसार 68.4 प्रतिशत था। एनएसएस सर्वेक्षणों के पूर्व के दौरों के साथ पीएलएफएस के परिणामों को उस संदर्भ में समझे जाने की आवश्यकता है, जिसके तहत सर्वेक्षण की कार्य-पद्धति तथा प्रतिदर्श चयन को तैयार किया गया है।

*****

भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

* * *

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न संख्या: 349

(दिनांक 25.07.2019 को उत्तर के लिए)

केन्द्रीय सरकार में रिक्त पद

***349. श्री के. सी. राममूर्तिः**
क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) केन्द्रीय सरकार के विभिन्न विभागों में मई, 2014 से 1 जुलाई, 2019 तक सेवानिवृत्ति, त्यागपत्र देने आदि के कारण उत्पन्न हुईं रिक्तियों की संख्या का वर्ष-वार, विभाग-वार और समूह-वार, ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान इनमें से भरे गये रिक्त पदों की वर्ष-वार, विभाग-वार और समूह-वार संख्या कितनी-कितनी है;

(ग) मई, 2014 से अब तक समाप्त कर दिये गए रिक्त पदों का विभाग-वार और समूह-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) दो वर्ष से अधिक अवधि तक रिक्त रहने वाले पदों की, विभाग-वार और समूह-वार, संख्या कितनी-कितनी है और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) उक्त रिक्त पदों को भरे जाने के लिए क्या-क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह)

(क) से (ङ): एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

केन्द्र सरकार में रिक्तियों के संबंध में श्री के.सी.राममूर्ति द्वारा पूछे गए दिनांक 25.07.2019 के राज्य सभा तारांकित प्रश्न सं. 349 के उत्तर में संदर्भित विवरण।

केन्द्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों और उनके संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालयों में रिक्तियां सेवानिवृत्ति, त्यागपत्र, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति, पदोन्नति, स्थानांतरण, प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण, सेवा समाप्ति, सेवा से बर्खास्तगी, मृत्यु आदि के कारण होती हैं।

2. व्यय विभाग की वेतन अनुसंधान इकाई की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, संस्वीकृत एवं पदस्थ पदों का समूह-वार एवं विभाग-वार ब्यौरा **संलग्नक I, II, III एवं IV** पर दिया गया है।

3. पिछले पांच वर्षों के दौरान संघ लोक सेवा आयोग, (यूपीएससी), कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी), एवं रेलवे विभाग द्वारा नियुक्ति के लिए अनुशंसित उम्मीदवारों की संख्या निम्नानुसार हैः-

वर्ष	**संघ लोक सेवा आयोग द्वारा भर्ती**		**कर्मचारी चयन आयोग द्वारा भर्ती**	**रेलवे**		
				पैनलबद्धकरण		**भरी गई राजपत्रित रिक्तियां**
	संरचित परीक्षा के माध्यम से	**चयन द्वारा सीधी भर्ती के माध्यम से**		**स्तर-1 के अलावा**	**स्तर-1**	
2014-15	5120	1244	58,066	15191	31995	1379
2015-16	5117	1707	25,138	27995	51808	1283
2016-17	4661	1442	68,880	19587	6731	1109
2017-18	3722	427	45,391	19100	5362	1102
2018-19	1060	182	16,748	1727	4766	832
कुल	**19,680**	**5002**	**2,14,223**	**83600**	**100662**	**5705**

4. रिक्त पदों पर भर्ती एक सतत प्रक्रिया है। किसी विभाग द्वारा सूचित रिक्तियों के भरे जाने तक कुछ नई रिक्तियां उत्पन्न हो जाती हैं। जब कोई पद दो वर्ष/तीन वर्ष से अधिक (नया सृजित पद) अवधि के लिए रिक्त रह जाता हैं तो, व्यय विभाग के दिनांक 12.04.2017 के का.ज्ञा.सं. 7(1)/ई-समन्वय-1/2017 के अनुसार उसे 'समाप्त मान' लिया जाता है। ऐसे पदों को कार्यात्मक औचित्य के आधार पर पुनः बहाल किया जाता है। रेलवे में पदों को समाप्त करने की कोई प्रणाली नहीं है।

5. प्रयोक्ता विभाग द्वारा सूचित की गई रिक्तियों के आधार पर, कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) ने वर्ष 2019 एवं 2020 के दौरान 1,05,338 पदों को भरने संबंधी भर्ती प्रक्रिया आरंभ कर दी है।

5.1 वर्ष 2017-2018 के दौरान, रेल मंत्रालय द्वारा विभिन्न समूह 'ग' एवं स्तर-1 पदों पर 1,27,573 संयुक्त रिक्तियों के लिए केन्द्रीकृत रोजगार अधिसूचनाएं (सीईएन) अधिसूचित की गई थी-दो वर्ष में उत्पन्न होने वाली नई एवं भावी रिक्तियों के लिए विभिन्न समूह 'ग' एवं स्तर-1 पदों की 1,56,138 रिक्तियों के लिए अन्य पांच केन्द्रीकृत रोजगार अधिसूचनाएं (सी.ई.एन) 2018-19 में जारी की गई हैं।

5.2 अतः, 3,89,069 रिक्तियों को भरने के लिए भर्ती प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी है।

5.3 कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने दिनांक 08.05.2017 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 22011/4/2013-स्था.(घ) द्वारा अनुदेश जारी किए हैं जिसमें विभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी) बैठकों का समय पर आयोजन करने के लिए आदर्श कैलेंडर निर्धारित किया गया है और यह भी सुनिश्चित करने संबंधी अनुदेश दिए गए हैं कि अनुमोदित चयन पैनलों को रिक्ति वर्ष के प्रारंभ होने की तारीख को तैयार कर लिया जाए। प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग सीधी भर्ती रिक्तियों को समयबद्ध रूप से भरने के लिए संबंधित भर्ती एजेंसियों अर्थात संघ लोक सेवा आयोग और कर्मचारी चयन आयोग को ऐसे पदों के संबंध में रिक्ति से संबंधित स्थिति की सूचना प्रदान कर रहे हैं।

5.4 भर्ती चक्र की अवधि को कम करने के लिए कुछ भर्ती एजेंसियों ने कम्प्यूटर आधारित ऑनलाइन परीक्षा शुरू की है, अराजपत्रित पदों के लिए साक्षात्कार समाप्त कर दिया गया है और उम्मीदवारों के पूर्ववृत्त के सत्यापन के लंबित रहने पर उन्हें अनंतिम नियुक्ति दी जा रही है।

संलग्नक-I

दिनांक 01.03.2014 तक की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय सरकार के नियमित सिविल कर्मचारियों की समूह-वार और श्रेणी-वार (राजपत्रित/अराजपत्रित) आकलित संख्या

मंत्रालय/विभाग	संस्वीकृत पद संख्या					पदस्थ संख्या				
	क(राजपत्रित)*	ख(राजपत्रित)	ख(अराजपत्रित)	ग(अराजपत्रित)$	कुल	क(राजपत्रित)*	ख(राजपत्रित)	ख(अराजपत्रित)	ग(अराजपत्रित)$	कुल
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
कृषि अनुसंधान और शिक्षा**	20	0	20	4	44	20	0	20	4	44
कृषि और सहकारिता	571	479	539	3754	5343	401	336	377	2632	3746
पशुपालन और डेयरी	339	148	117	3434	4038	209	86	70	2411	2776
परमाणु ऊर्जा	10582	637	10812	15401	37432	9993	592	10059	11183	31827
आयुष	79	34	96	100	309	65	10	49	72	196
जैव-प्रौद्योगिकी	79	40	49	87	255	68	15	43	55	181
मंत्रिमंडल सचिवालय	60	51	100	143	354	52	43	81	112	288
रसायन पेट्रोकेमिकल्स एवं फार्मास्युटिकल्स	99	49	97	235	480	84	38	60	194	376
नागरिक उड्डयन	785	96	260	814	1955	398	64	102	463	1027
कोयला	53	50	82	234	419	41	34	72	162	309
वाणिज्य **	678	897	1019	4409	7003	678	897	1019	4409	7003
उपभोक्ता मामले	194	187	221	608	1210	143	144	119	473	879
कारपोरेट कार्य	448	0	798	1066	2312	337	0	500	632	1469
संस्कृति**	257	351	616	6441	7665	257	351	616	6441	7665
रक्षा (सिविल)	17405	38807	46132	483132	585476	17160	30576	28839	321847	398422
पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास	65	74	47	144	330	49	50	33	110	242
विनिवेश	20	8	13	14	55	20	7	13	14	54
पेयजल और स्वच्छता	32	27	35	43	137	24	16	24	30	94
पृथ्वी-विज्ञान	605	1298	2758	3488	8149	312	1122	1979	1968	5381
आर्थिक कार्य	435	171	23	884	1513	372	132	13	721	1238
पर्यावरण एवं वन	854	1004	296	2717	4871	665	550	157	1711	3083
व्यय	327	205	172	707	1411	250	160	102	430	942
विदेश	2569	1112	2116	2760	8557	2242	952	1761	2267	7222
उर्वरक	65	33	70	164	332	56	31	58	117	262
वित्तीय सेवाएं	261	146	352	822	1581	220	106	211	608	1145
खाद्य और सार्वजनिक वितरण	244	86	221	804	1355	174	80	156	430	840
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग	30	32	33	65	160	31	32	22	49	134
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण**	3066	855	1346	22450	27717	3066	855	1346	22450	27717
भारी उद्योग	55	45	56	122	278	47	23	37	76	183
उच्च शिक्षा	206	169	359	513	1247	161	106	205	393	865
गृह	20468	4742	52206	913810	991226	17279	2930	41345	860034	921588
भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा	696	25498	0	42417	68611	539	19778	0	27781	48098

औद्योगिक नीति और संवर्धन**	310	181	208	1521	2220	310	181	208	1521	2220
सूचना और प्रसारण	509	438	912	4647	6506	332	314	629	3096	4371
सूचना प्रौद्योगिकी	3387	840	147	1812	6186	3183	766	118	1252	5319
श्रम और रोजगार	1247	1183	700	5316	8446	821	774	481	4206	6282
भूमि संसाधन	35	24	29	43	131	27	12	18	25	82
विधि और न्याय	266	239	266	1102	1873	88	136	147	713	1084
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम**	232	388	56	1204	1880	232	388	56	1204	1880
खान	4356	1602	3077	8900	17935	2447	666	1923	6274	11310
अल्पसंख्यक कार्य	59	34	42	142	277	45	31	24	107	207
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा	121	56	15	150	342	94	19	9	105	227
पंचायती राज	27	13	29	15	84	25	9	16	6	56
संसदीय कार्य	21	20	33	85	159	21	18	21	63	123
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन	1402	709	2403	6160	10674	1118	526	1862	5397	8903
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस	58	77	70	136	341	54	61	65	84	264
योजना आयोग	621	263	302	650	1836	391	171	252	465	1279
डाक**	576	1406	6868	191494	200344	576	1406	6868	191494	200344
विद्युत	616	376	331	681	2004	373	116	212	341	1042
राष्ट्रपति सचिवालय	19	37	56	201	313	17	35	51	138	241
प्रधान मंत्री कार्यालय	56	71	118	280	525	54	69	98	184	405
लोक उद्यम	30	10	30	52	122	24	10	12	24	70
रेल**	9089	7932	0	1316904	1333925	9089	7932	0	1316904	1333925
राजस्व	13168	30173	36446	105367	185154	8164	19465	24938	50002	102569
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग	280	188	347	471	1286	241	151	308	370	1070
ग्रामीण विकास	103	109	121	251	584	92	87	86	163	428
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	97	31	97	171	396	71	26	65	126	288
विज्ञान प्रौद्योगिकी	603	831	271	10622	12327	419	1334	204	5266	7223
पोत परिवहन	288	215	730	1632	2865	183	171	441	1026	1821
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता	106	85	148	306	645	83	64	99	246	492
अंतरिक्ष	8838	604	3290	6016	18748	8378	475	2832	3022	14707
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन	542	1687	2796	1289	6314	423	1389	1792	959	4563
इस्पात	51	41	65	120	277	42	35	55	100	232
संचार**	933	462	173	1319	2887	933	462	173	1319	2887
वस्त्र	319	206	725	3489	4739	262	180	665	3131	4238
पर्यटन	64	85	58	373	580	51	75	37	329	492
जनजातीय कार्य	72	41	74	120	307	49	25	37	86	197
संघ लोक सेवा आयोग	173	269	539	1010	1991	144	185	388	693	1410
शहरी विकास***	2490	814	5559	15043	23906	2429	639	4546	9146	16760

उप-राष्ट्रपति सचिवालय	6	5	0	49	60	5	3	0	41	49
जल संसाधन	1777	2509	2780	6313	13379	1347	1506	1663	4241	8757
महिला एवं बाल विकास	93	39	192	393	717	72	31	135	286	524
युवा कार्यक्रम एवं खेल	38	80	72	284	474	33	49	46	161	289
कुल	**114725**	**131704**	**191236**	**3207919**	**3645584**	**98155**	**100108**	**141068**	**2884595**	**3223926**

* इसमें कुछ अराजपत्रित पद भी शामिल है।

** स्वीकृत संख्या/पदस्थ संख्या की स्थिति अनंतिम है।

*** एचयूपीए सहित।

$ छठे केन्द्रीय वेतन आयोग के कार्यान्वयन के पश्चात् पूर्व के समूह घ पदों को समूह 'ग' में श्रेणीबद्ध किया गया।

संलग्नक-।।

दिनांक 01.03.2015 तक की स्थिति के अनुसार केन्द्र सरकार के नियमित सिविल कर्मचारियों की समूह-वार एवं श्रेणी (राजपत्रित/अराजपत्रित) आकलित संख्या

मंत्रालय/विभाग	संस्वीकृत पद संख्या					पदस्थ संख्या				
	क(राजपत्रित)*	ख(राजपत्रित)	ख(अराजपत्रित)	ग(अराजपत्रित)$	कुल	क(राजपत्रित)*	ख(राजपत्रित)	ख(अराजपत्रित)	ग(अराजपत्रित)$	कुल
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
कृषि अनुसंधान और शिक्षा**	22	0	20	7	49	22	0	20	7	49
कृषि और सहकारिता	582	488	550	3828	5448	394	330	370	2587	3681
पशुपालन और डेयरी	329	216	119	3323	3987	205	108	74	2191	2578
परमाणु ऊर्जा	9330	560	8900	18670	37460	8909	447	8594	14142	32092
आयुष	70	41	41	85	237	64	20	20	75	179
जैव-प्रौद्योगिकी**	79	40	49	87	255	68	15	43	55	181
मंत्रिमंडल सचिवालय	111	85	21	137	354	95	73	14	106	288
रसायन पेट्रोकेमिकल्स एवं फार्मास्युटिकल्स	95	43	87	250	475	80	25	44	183	332
नागरिक उड्डयन	788	95	262	797	1942	408	70	103	458	1039
कोयला	54	50	90	233	427	38	34	76	152	300
वाणिज्य **	678	897	1019	4409	7003	678	897	1019	4409	7003
उपभोक्ता मामले	185	187	256	594	1222	147	137	160	404	848
कारपोरेट कार्य	548	0	916	862	2326	308	0	448	707	1463
संस्कृति**	252	323	872	6125	7572	252	323	872	6125	7572
रक्षा (सिविल)	17405	38807	46132	483132	585476	17160	30576	28839	321847	398422
पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास	85	55	39	156	335	73	35	31	107	246
विनिवेश	21	8	14	13	56	20	6	11	13	50
पेयजल और स्वच्छता	34	31	37	48	150	23	16	20	26	85
पृथ्वी-विज्ञान	605	1298	2755	2828	7486	301	1065	1745	1849	4960
आर्थिक कार्य	392	179	213	709	1493	311	133	195	546	1185
पर्यावरण एवं वन	919	1103	245	2753	5020	671	643	116	1688	3118
व्यय	203	359	199	661	1422	174	294	117	406	991
विदेश	2683	1161	2136	2637	8617	1954	829	1894	2090	6767
उर्वरक	44	33	43	147	267	38	30	92	109	269
वित्तीय सेवाएं	265	135	341	814	1555	218	103	230	604	1155
खाद्य और सार्वजनिक वितरण	235	85	311	669	1300	210	79	177	417	883
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग	40	26	29	65	160	50	23	21	54	148
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण**	2556	713	1122	18720	23111	2556	713	1122	18720	23111
भारी उद्योग	55	44	57	132	288	44	27	29	87	187
उच्च शिक्षा	211	169	339	675	1394	156	117	199	448	920

गृह	21784	12981	58688	923048	1016501	17471	9690	43159	887407	957727
भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा	694	18391	0	49246	68331	570	14966	0	31338	46874
औद्योगिक नीति और संवर्धन**	310	181	208	1521	2220	310	181	208	1521	2220
सूचना और प्रसारण	515	596	887	4324	6322	349	364	703	2725	4141
सूचना प्रौद्योगिकी	3699	575	727	1566	6567	3510	492	649	938	5589
श्रम और रोजगार	1564	1668	1173	6416	10821	1058	1191	985	5013	8247
भूमि संसाधन	35	24	30	42	131	26	11	17	22	76
विधि और न्याय	282	157	257	663	1359	197	115	204	530	1046
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम**	217	362	52	1124	1755	217	362	52	1124	1755
खान	4350	1011	3433	5318	14112	2654	525	1993	3192	8364
अल्पसंख्यक कार्य	62	30	60	131	283	47	23	43	80	193
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा	118	40	53	93	304	79	23	35	64	201
पंचायती राज	27	13	29	15	84	26	9	20	11	66
संसदीय कार्य	21	20	33	85	159	21	22	26	56	125
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन**	1402	709	2403	6160	10674	1118	526	1862	5397	8903
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस	55	77	66	127	325	52	67	52	66	237
योजना आयोग	548	295	321	587	1751	344	196	224	329	1093
डाक**	576	1406	6868	191494	200344	655	1563	7634	182931	192783
विद्युत	540	309	371	718	1938	405	148	198	427	1178
राष्ट्रपति सचिवालय	29	36	68	190	323	48	16	69	134	267
प्रधान मंत्री कार्यालय	57	62	108	279	506	56	63	104	172	395
लोक उद्यम	31	10	30	52	123	24	9	13	24	70
रेल**	9462	7610	0	1309365	1326437	9462	7610	0	1309365	1326437
राजस्व	12492	32220	34345	98511	177568	7952	24338	17370	46876	96536
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग	311	127	279	423	1140	257	113	180	298	848
ग्रामीण विकास	96	118	85	239	538	86	100	66	169	421
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता**	97	31	97	171	396	71	26	65	126	288
विज्ञान प्रौद्योगिकी**	603	831	271	10622	12327	419	1334	204	5266	7223
पोत परिवहन	284	249	632	1689	2854	196	214	417	1083	1910
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता	136	124	211	322	793	105	90	157	271	623
अंतरिक्ष	7251	496	2699	4936	15382	7034	399	2377	2537	12347
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन	488	1627	2780	1346	6241	351	1310	1732	1007	4400
इस्पात	51	41	72	113	277	46	38	65	94	243
संचार**	933	462	173	1319	2887	933	462	173	1319	2887
वस्त्र	319	206	725	3489	4739	262	180	665	3131	4238
पर्यटन**	64	85	58	373	580	51	75	37	329	492
जनजातीय कार्य	72	42	47	146	307	51	29	35	77	192

संघ लोक सेवा आयोग	173	269	539	1004	1985	145	218	354	746	1463
शहरी विकास***	2839	999	5882	20830	30550	2649	1036	5565	9233	18483
उप-राष्ट्रपति सचिवालय	6	5	7	42	60	5	3	5	34	47
जल संसाधन	1652	1160	2584	6001	11397	1246	771	1465	3891	7373
महिला एवं बाल विकास	108	79	142	388	717	80	68	90	278	516
युवा कार्यक्रम एवं खेल	50	71	99	253	473	44	43	79	136	302
कुल	**113279**	**133036**	**194806**	**3208347**	**3649468**	**96309**	**106187**	**136046**	**2890379**	**3228921**

* इसमें कुछ अराजपत्रित पद भी शामिल है।

** स्वीकृत संख्या/पदस्थ संख्या की स्थिति अनंतिम है।

*** एचयूपीए सहित।

$ छठे केन्द्रीय वेतन आयोग के कार्यान्वयन के पश्चात् पूर्व के समूह 'घ' पदो को समूह 'ग' में श्रेणीबद्ध किया गया।

संलग्नक -III

दिनांक 01.03.2016 तक की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय सरकार के नियमित सिविल कर्मचारियों की समूह-वार और श्रेणी-वार (राजपत्रित/अराजपत्रित) आकलित संख्या

मंत्रालय/विभाग	संस्वीकृत पद संख्या					पदस्थ संख्या				
	क(राजपत्रित)*	ख(राजपत्रित)	ख(अराजपत्रित)	ग(अराजपत्रित)$	कुल	क(राजपत्रित)*	ख(अराजपत्रित)	ख(अराजपत्रित)$	ग(अराजपत्रित)$	कुल
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
कृषि अनुसंधान और शिक्षा**	20	0	19	7	**46**	20	0	19	7	**46**
कृषि और सहकारिता	652	545	614	4274	**6085**	432	362	405	2837	**4036**
पशुपालन और डेयरी	327	169	187	3269	**3952**	194	86	102	2072	**2454**
परमाणु ऊर्जा	11439	561	9770	15040	**36810**	11006	532	9174	11337	**32049**
आयुष	73	38	37	89	**237**	60	26	25	68	**179**
जैव-प्रौद्योगिकी	78	29	69	78	**254**	61	19	42	49	**171**
मंत्रिमंडल सचिवालय**	96	0	80	122	**298**	96	0	80	122	**298**
रसायन पेट्रोकेमिकल्स एवं फार्मास्युटिकल्स	70	45	65	209	**389**	60	39	62	165	**326**
नागरिक उड्डयन	807	70	464	883	**2224**	452	48	169	444	**1113**
कोयला	58	51	94	221	**424**	42	29	83	146	**300**
वाणिज्य **	669	886	1006	4354	**6915**	669	886	1006	4354	**6915**
उपभोक्ता मामले	228	140	255	564	**1187**	176	97	147	393	**813**
कारपोरेट कार्य	495	172	696	1110	**2473**	318	97	359	602	**1376**
संस्कृति**	206	269	259	7128	**7862**	206	269	259	7128	**7862**
रक्षा (सिविल) **	17405	38807	46132	483132	**585476**	17160	30576	28839	321847	**398422**
पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास	68	56	50	174	**348**	58	37	37	105	**237**
पेयजल और स्वच्छता	37	33	43	51	**164**	36	15	33	28	**112**
पृथ्वी-विज्ञान	747	1625	2252	2861	**7485**	382	1355	1342	1784	**4863**
आर्थिक कार्य**	256	132	198	499	**1085**	256	132	198	499	**1085**
पर्यावरण एवं वन	855	1104	278	2730	**4967**	638	637	145	1509	**2929**
व्यय	218	336	252	602	**1408**	176	284	151	332	**943**

विदेश मामले	2376	1028	2571	2727	**8702**	2125	901	1820	2347	**7193**
उर्वरक	47	51	13	88	**199**	39	34	8	55	**136**
वित्तीय सेवाएं	299	51	495	855	**1700**	242	36	307	576	**1161**
खाद्य और सार्वजनिक वितरण	228	82	299	503	**1112**	206	78	258	385	**927**
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग	47	27	45	70	**189**	53	14	30	47	**144**
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण**	2357	658	1035	17264	**21314**	2357	658	1035	17264	**21314**
भारी उद्योग	55	44	57	132	**288**	47	26	43	82	**198**
उच्चतर शिक्षा	283	132	341	651	**1407**	175	93	234	441	**943**
गृह	24780	17005	34600	944246	**1020631**	20540	13041	27766	886919	**948266**
भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा	696	18022	288	49189	**68195**	553	14590	242	30494	**45879**
औद्योगिक नीति और संवर्धन**	227	133	198	1451	**2009**	227	133	198	1451	**2009**
सूचना और प्रसारण	516	644	784	4314	**6258**	347	411	630	2624	**4012**
सूचना प्रौद्योगिकी	3852	605	511	1599	**6567**	3649	539	437	897	**5522**
निवेश और सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन	21	8	16	14	**59**	20	7	13	13	**53**
श्रम एवं रोजगार	1373	511	1237	4914	**8035**	941	346	883	3100	**5270**
भूमि संसाधन	35	24	30	42	**131**	26	11	17	22	**76**
विधि और न्याय**	282	157	257	663	**1359**	197	115	204	530	**1046**
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम	222	370	96	2090	**2778**	173	289	73	1576	**2111**
खान	3039	741	2104	3841	**9725**	2791	564	1791	3248	**8394**
अल्पसंख्यक कार्य	69	59	36	97	**261**	42	43	22	62	**169**
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा	115	34	52	88	**289**	81	18	41	70	**210**
पंचायती राज	31	21	29	51	**132**	29	16	20	36	**101**
संसदीय कार्य	23	21	45	59	**148**	23	12	35	52	**122**
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन	1549	620	2598	6331	**11098**	1159	436	1816	5271	**8682**
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस	56	77	66	113	**312**	50	65	64	65	**244**

योजना	225	124	121	176	**646**	171	96	99	165	**531**
डाक**	614	3070	5588	184539	**193811**	614	3070	5588	184539	**193811**
विद्युत	545	240	441	631	**1857**	415	124	235	432	**1206**
राष्ट्रपति सचिवालय	29	36	68	190	**323**	48	16	69	134	**267**
प्रधान मंत्री कार्यालय	57	62	115	271	**505**	59	63	102	179	**403**
लोक उद्यम	31	10	25	56	**122**	24	7	16	24	**71**
रेल**	9557	7103	0	1314773	**1331433**	9557	7103	0	1314773	**1331433**
राजस्व	12456	32395	34590	99492	**178933**	7848	25239	18022	49171	**100280**
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग	347	69	289	371	**1076**	321	66	237	296	**920**
ग्रामीण विकास	106	110	127	244	**587**	94	91	98	178	**461**
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	82	74	131	172	**459**	60	47	102	109	**318**
विज्ञान और प्रौद्योगिकी	592	789	291	10505	**12177**	267	660	777	3693	**5397**
पोत परिवहन	371	156	620	1739	**2886**	203	164	378	1089	**1834**
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता	127	122	192	309	**750**	106	89	159	241	**595**
अंतरिक्ष**	7251	496	2699	4936	**15382**	7034	399	2377	2537	**12347**
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन	518	1801	2751	1285	**6355**	375	1492	1776	968	**4611**
इस्पात	53	40	77	107	**277**	45	44	71	82	**242**
दूर संचार**	1048	391	94	1230	**2763**	1048	391	94	1230	**2763**
वस्त्र	319	206	725	3489	**4739**	262	180	665	3131	**4238**
पर्यटन	73	102	1	402	**578**	64	91	1	334	**490**
जनजातीय कार्य	76	42	47	145	**310**	60	31	41	109	**241**
संघ लोक सेवा आयोग	172	282	433	1046	**1933**	155	191	384	678	**1408**
शहरी विकास***	3281	891	5620	10586	**20378**	3078	1186	5207	8922	**18393**
उप-राष्ट्रपति सचिवालय	6	5	2	47	**60**	5	4	1	39	**49**
जल संसाधन और विकास	1724	1155	2565	6000	**11444**	1271	834	1428	3760	**7293**

महिला एवं बाल विकास	93	79	151	391	**714**	78	59	82	249	**468**
युवा मामले एवं खेल	50	36	95	269	**450**	49	30	68	255	**402**
कुल	**117185**	**136079**	**168481**	**3212190**	**3633935**	**101901**	**109769**	**118741**	**2890772**	**3221183**

* इसमें कुछ अराजपत्रित पद भी शामिल है।

** स्वीकृत संख्या/पदस्थ संख्या की स्थिति अनंतिम/आवर्तित है।

*** एचयूपीए सहित।

$ छठे केन्द्रीय वेतन आयोग के कार्यान्वयन के पश्चात् पूर्व के समूह 'घ' पद को समूह 'ग' में श्रेणीबद्ध किया गया।

संल्गनक-IV

दिनांक 1.3.2018 तक की स्थिति के अनुसार केंद्र सरकार के नियमित सिविल कर्मचारोयों की समूह-वार और श्रेणी-वार (राजपत्रित/अराजपत्रित) आकलित संख्या											
क्र.सं.	मंत्रालय/विभाग	स्वीकृत पदों की संख्या					पदस्थ संख्या				
		क(राजपत्रित)	ख(राजपत्रित)	ख(अराजपत्रित)	ग(अराजपत्रित)	कुल	क(राजपत्रित)	ख(राजपत्रित)	ख(अराजपत्रित)	ग(अराजपत्रित)	कुल
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	कृषि अनुसंधान और शिक्षा	17	8	10	14	**49**	16	7	6	7	**36**
2	कृषि और सहकारिता	636	533	599	4172	**5940**	421	354	395	2769	**3939**
3	पशुपालन और डेयरी	319	165	183	3194	**3861**	189	84	100	2024	**2397**
4	परमाणु ऊर्जा	11825	742	9730	14523	**36820**	11145	579	8626	10289	**30639**
5	आयुष	77	29	50	66	**222**	61	10	39	41	**151**
6	जैव प्रौद्योगिकी	72	40	49	86	**247**	53	23	40	56	**172**
7	मंत्रिमण्डल सचिवालय	65	51	100	143	**359**	60	45	83	112	**300**
8	रसायन, पेट्रो रसायन और औषध	70	45	65	209	**389**	60	39	62	165	**326**
9	नागर विमानन	808	85	559	947	**2399**	470	50	174	540	**1234**
10	कोयला	56	49	95	224	**424**	40	27	86	132	**285**
11	वाणिज्य	645	856	970	4200	**6671**	532	705	800	3462	**5499**
12	उपभोक्ता मामले	218	142	285	579	**1224**	170	110	158	364	**802**
13	कॉर्पोरेट कार्य	455	175	709	1202	**2541**	297	114	424	462	**1297**
14	संस्कृति	206	269	259	7128	**7862**	211	231	260	6973	**7675**
15	रक्षा (सिविल)	17405	38807	46132	483132	**585476**	17160	30576	28839	321847	**398422**
16	पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास	68	56	50	174	**348**	58	37	37	105	**237**
17	पेयजल और स्वच्छता	40	28	49	22	**139**	30	11	42	13	**96**
18	पृथ्वी विज्ञान	458	267	3840	2791	**7356**	250	83	2436	1504	**4273**
19	आर्थिक कार्य	376	183	238	665	**1462**	283	145	201	484	**1113**
20	पर्यावरण और वन	940	443	1038	2690	**5111**	732	233	544	1422	**2931**
21	व्यय	149	229	253	392	**1023**	111	166	190	178	**645**
22	विदेश मंत्रालय	2241	970	2425	2572	**8208**	2071	879	1774	2288	**7012**
23	उर्वरक	43	17	97	130	**287**	35	14	79	71	**199**

24	वित्तीय सेवाएं	299	51	495	855	**1700**	242	36	307	576	**1161**
25	खाद्य और सार्वजनिक वितरण	231	84	303	510	**1128**	182	69	228	341	**820**
26	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग	57	34	35	65	**191**	50	21	20	50	**141**
27	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	2357	658	1035	17264	**21314**	2357	658	1035	17264	**21314**
28	भारी उद्योग	50	40	51	120	**261**	43	24	38	75	**180**
29	उच्चतर शिक्षा	274	222	240	528	**1264**	184	108	229	406	**927**
30	गृह मंत्रालय	24780	17005	34600	944246	**1020631**	20540	13041	27766	886919	**948266**
31	भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा	723	18642	24063	20930	**64358**	570	14594	16680	12873	**44717**
32	औद्योगिक नीति और संवर्धन	313	184	272	1998	**2767**	239	140	209	1533	**2121**
33	सूचना और प्रसारण	473	592	719	3959	**5743**	318	378	578	2408	**3682**
34	सूचना प्रौद्योगिकी	3831	602	508	1590	**6531**	3629	536	434	892	**5491**
35	निवेश और सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन	26	13	21	13	**73**	24	6	14	12	**56**
36	श्रम और रोजगार	1170	412	1378	3808	**6768**	604	252	1040	2606	**4502**
37	भूमि संसाधन	36	33	22	31	**122**	30	11	12	24	**77**
38	विधि और न्याय	533	297	486	1254	**2570**	372	218	386	1002	**1978**
39	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम	411	526	395	1638	**2970**	193	419	206	1002	**1820**
40	खान	4354	1000	3074	5627	**14055**	2796	619	1406	2753	**7574**
41	अल्पसंख्यक कार्य	64	31	62	88	**245**	42	19	46	73	**180**
42	नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा	124	54	33	85	**296**	77	21	37	77	**212**
43	पंचायती राज	32	23	30	39	**124**	20	15	19	13	**67**
44	संसदीय कार्य	24	21	45	59	**149**	22	12	35	50	**119**
45	कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन	1514	606	2538	6186	**10844**	1133	426	1774	5150	**8483**
46	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस	57	64	72	104	**297**	45	50	64	55	**214**
47	योजना आयोग	245	135	132	192	**704**	186	104	108	180	**578**
48	डाक	621	354	8222	175221	**184418**	619	354	8222	175221	**184416**
49	विद्युत	532	96	628	600	**1856**	478	69	343	371	**1261**
50	राष्ट्रपति सचिवालय	37	41	68	200	**346**	26	39	63	143	**271**
51	प्रधानमंत्री कार्यालय	63	60	115	273	**511**	59	57	117	164	**397**
52	लोक उद्यम	33	13	22	51	**119**	26	9	11	23	**69**

53	रेलवे	13662	5318	620	1488094	**1507694**	11928	4032	565	1231800	**1248325**
54	राजस्व	12456	32395	34590	99492	**178933**	7848	25239	18022	49171	**100280**
55	सड़क परिवहन और राजमार्ग	303	62	180	198	**743**	286	50	154	150	**640**
56	ग्रामीण विकास	102	95	127	191	**515**	82	70	98	135	**385**
57	स्कूल शिक्षा और साक्षरता	86	72	122	166	**446**	72	45	105	110	**332**
58	विज्ञान और प्रौद्योगिकी	592	789	291	10505	**12177**	264	569	1647	2704	**5184**
59	पोत परिवहन	371	156	620	1739	**2886**	203	154	427	1055	**1839**
60	सामाजिक न्याय और अधिकारिता	142	103	227	234	**706**	108	75	170	207	**560**
61	अंतरिक्ष	7264	497	2703	4945	**15409**	7047	400	2380	2542	**12369**
62	सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन	1530	1841	2658	1262	**7291**	723	1599	1596	1165	**5083**
63	इस्पात	89	30	49	92	**260**	65	27	39	70	**201**
64	दूरसंचार	1056	1104	314	2154	**4628**	899	588	130	1106	**2723**
65	वस्त्र	260	201	853	3591	**4905**	172	149	467	1718	**2506**
66	पर्यटन	74	102	134	267	**577**	68	101	118	200	**487**
67	जनजातीय कार्य	76	42	47	145	**310**	60	31	41	109	**241**
68	संघ लोक सेवा आयोग	206	259	520	843	**1828**	161	129	433	555	**1278**
69	शहरी विकास	3323	831	5694	10407	**20255**	3101	992	4978	9044	**18115**
70	उपराष्ट्रपति सचिवालय	6	5	8	41	**60**	5	4	5	37	**51**
71	जल संसाधन	1742	1163	2678	5808	**11391**	1266	771	1426	3363	**6826**
72	महिला एवं बाल विकास	94	80	131	372	**677**	77	42	98	240	**457**
73	युवा कार्यक्रम और खेल	45	42	65	163	**315**	40	42	54	164	**300**
	कुल	**123932**	**131269**	**200080**	**3347498**	**3802779**	**104036**	**101936**	**139775**	**2773209**	**3118956**

*****

भारत सरकार

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 556

बुधवार, 26 जून, 2019/5 आषाढ़, 1941(शक)

रिक्त पदों को भरने का सुझाव

556. चौधरी सुखराम सिंह यादव:
श्री विशम्भर प्रसाद निषाद:
श्रीमती छाया वर्मा:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देशभर में रिक्त पदों को भरने में विलंब होने पर मंत्रालय द्वारा संबंधित विभागों को रिक्त पदों को भरने का कोई सुझाव दिया गया है;

(ख) बेरोजगारों को रोजगार देने हेतु और देश में बेरोजगारी में बढ़ोतरी पर अंकुश लगाने के लिए मंत्रालय द्वारा कौन से कदम उठाए गए हैं: और

(ग) क्या यह सच है कि नई भर्ती द्वारा रिक्त पदों को भरने में अत्यधिक विलंब हो रहा है और देश में नई भर्ती के लिए परिणामों की घोषणा में विलंब के मामले भी सामने आ रहे हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क): जी, नहीं। श्रम एव रोजगार मंत्रालय ने ऐसा कोई सुझाव नहीं दिया है। तथापि, रिक्तियों को भरना सरकार के लिए प्राथमिकता मद है।

(ख): युवाओं की रोजगारपरकता में सुधार के साथ-साथ रोजगार सृजन सरकार का प्राथमिक सरोकार है। सरकार ने देश में रोजगार सृजन के लिए अर्थव्यवस्था के निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन देने, अधिक मात्रा में निवेश वाली विभिन्न परियोजनाओं की फास्ट ट्रेकिंग तथा प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी स्कीम (मनरेगा), पंडित दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई) स्कीम तथा दीनदयाल अंतोदय योजना- राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम) जैसी योजनाओं पर लोक व्यय को बढ़ाने जैसे विभिन्न उपाय किए हैं।

जारी–2/-

रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करने हेतु श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना प्रारम्भ की गई है। इस योजना के अंतर्गत, सरकार तीन वर्ष तक सभी क्षेत्रों के सभी पात्र नए कर्मचारियों के ईपीएफ एवं ईपीएस के सम्पूर्ण नियोक्ता अंशदान (12 प्रतिशत अथवा अनुमेय) का भुगतान कर रही है।

सरकार ने राष्ट्रीय कैरियर सेवा कार्यान्वित की है जिसमें नौकरी चाहने वालों के लिए ऑनलाइन पंजीकरण एवं जॉब्स पोस्ट करने तथा अन्य रोजगार संबंधी सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु एक पोर्टल (www.ncs.gov.in) है।

(ग): एसएससी/यूपीएससी जैसी भर्ती करने वाली एजेंसियों को नियमित रूप से रिक्तियां रिपोर्ट की जाती हैं। न्यायिक वाद-विवाद के कारण रिक्तियों को भरने के कुछ मामलों में विलम्ब हुआ है।

***

भारत सरकार

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 561

बुधवार, 26 जून, 2019/5 आषाढ़ 1941(शक)

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) कवरेज को बढ़ाने के लिए मूल वेतन में वृद्धि

561. डॉ. प्रकाश बांडा:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के केन्द्रीय न्यासी बोर्ड द्वारा अनुमोदित वेतन सीमा को 15,000 रुपए से 21,000 रुपए प्रति माह तक बढ़ाए जाने का प्रस्ताव रखा है ताकि अनिवार्य ईपीएफ दायरे के अंतर्गत ज्यादा कर्मियों को लाया जा सके और उनको भविष्य निधि और पेंशन सुविधाएं प्रदान की जा सकें;

(ख) क्या सरकार सेवानिवृत्त संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए वर्तमान की न्यूनतम पेंशन को 1,000 रुपए से 3,000 रुपए प्रति माह तक बढ़ाने की योजना बना रही है?

(ग) क्या सरकार सामाजिक सुरक्षा जाल को ज्यादा संख्या में लोगों और यहां तक कि असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों तक भी विस्तारित करने की योजना बना रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क): जी नहीं।

(ख): जी नहीं।

(ग) से (ङ): कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 20 या इससे अधिक व्यक्तियों को नियोजित करने वाले प्रत्येक प्रतिष्ठान पर लागू है जो या तो अधिनियम की अनुसूची-I में विनिर्दिष्ट किसी उद्योग में संलग्न कारखाना हो या कोई प्रतिष्ठान जिस पर केन्द्रीय सरकार द्वारा शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा अधिनियम लागू किया गया हो। देश में सभी पात्र कामगरों तक सामाजिक सुरक्षा के लाभ पहुंचाने के लिए, व्याप्ति-योग्य प्रतिष्ठानों को कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के अंतर्गत लाने के साथ-साथ पात्र कर्मचारियों को अधिनियम के अधीन स्कीमों के छत्र में लाने के लिए निरंतर प्रयास किए जाते हैं।

इसके अलावा, असंगठित क्षेत्र के कामगारों को सामाजिक सुरक्षा के लाभ प्रदान करने के लिए, सरकार ने असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 का अधिनियमन किया है। इस अधिनियम में असंगठित कामगारों के लिए (i) जीवन एवं अपंगता छत्र, (ii) स्वास्थ्य एवं प्रसूति लाभ, (iii) वृद्धावस्था संरक्षण तथा (iv) केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा निर्धारित किसी अन्य लाभ से संबंधित मामलों पर उपयुक्त कल्याणकारी स्कीमें बनाया जाना अनुबंधित है। असंगठित कामगारों को मासिक सुनिश्चित पेंशन के रूप में वृद्धावस्था संरक्षण प्रदान करने के लिए, भारत सरकार ने हाल ही में प्रधान मंत्री श्रम योगी मानधन (पीएम-एसवाईएम) का सूत्रपात किया है। इस स्कीम के अंतर्गत, असंगठित कामगारों को 60 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद 3000/- रुपये की न्यूनतम सुनिश्चित मासिक पेंशन प्रदान की जाएगी। यह स्कीम 50:50 आधार पर आधारित है जहां 50 प्रतिशत मासिक अंशदान लाभार्थी द्वारा तथा इतना ही अंशदान केन्द्रीय सरकार द्वारा देय है।

****

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1373

बुधवार, 3 जुलाई, 2019 / 12 आषाढ़, 1941 (शक)

कर्मचारी राज्य बीमा, कर्मचारी भविष्य निधि का अन्य योजनाओं के साथ विलय का प्रस्ताव

1373. श्री के.के. रागेश:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार कर्मचारी राज्य बीमा, कर्मचारी भविष्य निधि को बंद करके अन्य सरकारी योजनाओं के साथ उसका विलय करने और सामाजिक सुरक्षा निधि के निजीकरण का विचार रखती है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या मजदूर संघों से प्राप्त सुझावों पर विचार किया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) से (ग): वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, मंत्रालय ने सामाजिक सुरक्षा से संबंधित मौजूदा केन्द्रीय श्रम कानूनों के संगत प्रावधानों के सरलीकरण, विलयन और युक्तीकरण के द्वारा सामाजिक सुरक्षा संबंधी श्रम संहिता का प्रारूप तैयार करने के लिए कदम उठाए हैं। सामाजिक सुरक्षा संबंधी प्रारूप श्रम संहिता पर 27.11.2018 को आयोजित त्रिपक्षीय परामर्श बैठक में विचार किया गया।

वर्तमान में सामाजिक सुरक्षा संबंधी प्रारूप श्रम संहिता विधायी पूर्व चरण में है।

*****

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2004

बुधवार, 10 जुलाई, 2019 /19 आषाढ़, 1941 (शक)

चयनित गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) से ईपीएफओ निवेश वापस लेना

2004. श्री जोस के. मणि:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ईपीएफओ का केंद्रीय न्यासी बोर्ड एनबीएफसी क्षेत्र में संकट उत्पन्न होने के मद्देनजर चयनित गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) से ईपीएफओ निवेश वापस लेने पर विचार कर रहा है;

(ख) क्या यह कदम कर्ज में डूबी इंफ्रास्ट्रक्चर लीज़िंग एंड फाइनेंस सर्विसेज़ कंपनी (आईएल एण्ड एफएस) में ईपीएफओ के निवेश में कठिनाई आने के कारण उठाया गया है;

(ग) क्या श्रम संबंधी स्थायी समिति ने आईएल एण्ड एफएस में ईपीएफओ द्वारा निवेश को 574.75 करोड़ रुपये तक सीमित किया है; और

(घ) क्या राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील प्राधिकरण के समक्ष शपथपत्र में आईएल एण्ड एफएस ने घोषणा की है कि यह पेंशन और भविष्य निधि द्वारा 9134 करोड़ रुपये के निवेश का तत्काल पुनर्भुगतान नही कर सकती है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) और (ख) : कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) द्वारा निवेश बाजार की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए तथा सरकार द्वारा अधिसूचित निवेश के पैटर्न के अनुसार ही किया जाता है।

(ग) : इंफ्रास्ट्रक्चर लीज़िंग एंड फाइनेंस सर्विसेज़ कंपनी (आईएल एण्ड एफएस) में ईपीएफओ का कुल निवेश 574.73 करोड़ रुपये है।

(घ) : श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के पास ऐसी कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।

***

भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-2013
बुधवार, 10 जुलाई, 2019/19 आषाढ़, 1941 (शक)

बेरोजगारी में बढ़ोतरी

2013. श्री पि॰ भट्टाचार्यः

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश में बेरोजगारी की स्थिति सुधारने के लिए कोई कार्रवाई की गई है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और
(ख) क्या विभिन्न सरकारी विभागों में रिक्त पड़े रिक्त पदों को भरने के लिए क्या उपाय किये जा रहे हैं, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क): सरकार ने देश में रोजगार का सृजन करने के लिए अर्थव्यवस्था के निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन देने, पर्याप्त निवेश वाली विभिन्न परियोजनाओं को गति प्रदान करने और प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस), पं. दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई) तथा दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम) जैसी योजनाओं पर सार्वजनिक व्यय में वृद्धि करने जैसे विभिन्न कदम उठाए हैं।

श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा रोजगार सृजन को बढ़ावा देने हेतु नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए प्रधान मंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना (पीएमआरपीवाई) आरंभ की गई है। इस योजना के तहत, सरकार सभी क्षेत्रों के समस्त पात्र नए कर्मचारियों हेतु ईपीएफ एवं ईपीएस के लिए 3 वर्षों हेतु नियोक्ता के संपूर्ण अंशदान (12% अथवा यथा-स्वीकार्य) का भुगतान कर रही है।

सरकार ने स्व-रोजगार को सुकर बनाने के लिए, अन्य बातों के साथ-साथ, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) आरंभ की है। पीएमएमवाई के अंतर्गत सूक्ष्म/लघु व्यापारिक उद्यमों तथा व्यक्तियों को अपने व्यापारिक कार्यकलापों को स्थापित करने अथवा विस्तार करने में समर्थ बनाने के लिए 10 लाख रुपए तक का गैर-जमानती ऋण प्रदान किया जाता है।

सरकार ने राष्ट्रीय करियर सेवा (एनसीएस) परियोजना को कार्यान्वित किया है, जिसमें एक ऐसा डिजिटल पोर्टल शामिल है जो गतिशील, दक्ष एवं सकारात्मक ढंग से योग्यता अनुरूप रोजगार हेतु रोजगार चाहने वालों एवं नियोक्ताओं के लिए एक राष्ट्र-व्यापी ऑनलाइन मंच प्रदान करता है तथा इसमें रोजगार चाहने वालों हेतु आजीविका संबंधी विषय-वस्तु का भंडार है।

स्टार्ट अप इंडिया भारत सरकार की एक फ्लैगशीप पहल है। यह एक मजबूत इकोसिस्टम का निर्माण करना चाहती है, जो व्यापार आरंभ करने को संवर्द्धित करने, धारणीय आर्थिक विकास को प्रेरित करने तथा बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर को सृजित करने में सहायक है।

इन पहलों के अतिरिक्त, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्वच्छ भारत मिशन, स्मार्ट सिटी मिशन, जीर्णोद्धार एवं शहरी रूपांतरण हेतु अटल मिशन, सभी के लिए आवास, अवसंरचना विकास तथा औद्योगिक गलियारे जैसे सरकार के फ्लैगशीप कार्यक्रमों में उत्पादक रोजगार के अवसर सृजित करने की संभावना है। युवाओं की नियोजनीयता में सुधार करने तथा नियोजन की सुविधा प्रदान करने के लिए मंत्रालय/विभाग/राज्य विभिन्न क्षेत्रों में कौशल विकास योजनाएं चलाते हैं। राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्द्धन योजना (एनएपीएस) जैसी योजनाएं, जिनमें सरकार शिक्षुओं को देय वृत्तिका के 25 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति करती है, भी रोजगार प्राप्त करवाने हेतु युवाओं की नियोजनीयता को बढ़ाती हैं।

(ख): रिक्त पदों का भरा जाना एक सतत प्रक्रिया है, जो वर्ष के दौरान मंत्रालयों/विभागों में उत्पन्न होने वाली रिक्तियों तथा भर्ती अभिकरणों के कार्रवाई कैलेंडर पर निर्भर करता है। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीएंडटी) ने विभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी) की बैठक के समय पर आयोजन हेतु आदर्श कैलेंडर निर्धारित करते हुए तथा यह सुनिश्चित करने कि अनुमोदित चयन पैनल रिक्ति वर्ष के आरंभ की तिथि पर तैयार हैं, के संबंध में निर्देश जारी किए हैं। प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों को भी सीधी भर्ती वाले पदों के संबंध में रिक्तियों की स्थिति संबंधित भर्ती अभिकरणों, अर्थात् संघ लोक सेवा आयोग तथा कर्मचारी चयन आयोग, को सूचित करने का परामर्श दिया गया है, ताकि समयबद्ध तरीके से ऐसी रिक्तियों को भरा जा सके।

*****

भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2018

बुधवार, 10 जुलाई, 2019 / 19 आषाढ़, 1941 (शक)

कर्मचारी भविष्य निधि के पेंशनभोगियों को पेंशन

2018. डॉ. आर. लक्ष्मणन:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पूरे देश में कर्मचारी भविष्य निधि के पेंशनभोगियों की संख्या का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
(ख) इन पेंशनभोगियों को पेंशन के रूप में दी जा रही राशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि के पेंशनभोगियों को पेंशन का भुगतान करने के लिए बाधा मुक्त वातावरण बनाने हेतु कोई पहल की है;
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) और (ख): जून, 2019 के दौरान पूरे देश में कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 के अंतर्गत पेंशनभोगियों की संख्या के साथ-साथ संघ शासित प्रदेश/राज्य-वार भुगतान की गई राशि का ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है।

(ग) से (ङ): जी हां। अन्य बातों के साथ-साथ, उठाए गए महत्वपूर्ण कदम, निम्नलिखित हैं:-

i. पेंशन का भुगतान इलैक्ट्रोनिक रूप से सीधे पेंशनभोगियों के बैंक खातों में किया जाता है।

ii. पेंशनभोगी ऑनलाइन जीवन प्रमाण/युनिफाइड़ मोबाइल ऐपलिकेशन फोर न्यू-ऐज़ गवर्नेश (उमंग) ऐप के माध्यम से जीवन प्रमाण-पत्र को जमा करा सकते हैं।

* ******

<u>अनुबंध</u>

'ईपीएफ पेंशनरों को पेंशन' के संबंध में डॉ. आर. लक्ष्मणन द्वारा उठाए गए 10.07.2019 के लिए लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2018 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में संदर्भित विवरण।

राज्य-वार पेंशनभोगी तथा भुगतान (जून, 2019 की स्थिति के अनुसार)			
क्र.सं.	**राज्य**	**जून 2019 में कुल पेंशनभोगी**	**जून 2019 में किया गया कुल भुगतान (रुपये)**
1	आंध्र प्रदेश	273523	341397545
2	अंडमान निकोबार द्वीप समूह	3433	3683382
3	असम	50859	67515952
4	बिहार	192539	190029916
5	चंडीगढ़	42010	65182681
6	छत्तीसगढ़	87771	109053926
7	दिल्ली	138693	193129169
8	गोवा	24792	30708043
9	गुजरात	394413	490424914
10	हरियाणा	142723	175150931
11	हिमाचल प्रदेश	34027	45374945
12	झारखंड	150214	176688091
13	कर्नाटक	536419	591384323
14	केरल	404103	495568521
15	मध्य प्रदेश	212727	229732712
16	महाराष्ट्र	1102677	1394750473
17	मेघालय (शिलांग)	4508	5896245
18	ओडिशा	162438	190760112
19	पुडुचेरी	16303	22164845
20	पंजाब	106998	138866330
21	राजस्थान	164182	189834014
22	तमिलनाडु	737431	806152734
23	तेलंगाना	362764	378973626
24	त्रिपुरा (अगरतला)	7777	9637828
25	उत्तर प्रदेश	509220	534333295
26	उत्तराखंड	58902	74045668
27	पश्चिम बंगाल	572477	647393537
	कुल	**64,93,923**	**759,78,33,758**

*****

भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-2791
बुधवार, 17 जुलाई, 2019/26 आषाढ़, 1941 (शक)

प्रधान मंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत
कर्मचारी भविष्य निधि और कर्मचारी पेंशन
योजना में कर्मचारियों का अंशदान

2791. श्री विशम्भर प्रसाद निषादः
श्रीमती छाया वर्माः
चौधरी सुखराम सिंह यादवः

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) उन नए कर्मचारियों की संख्या कितनी है जिनके लिए विगत तीन वर्षों के दौरान प्राधन मंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत कर्मचारी भविष्य निधि और कर्मचारी पेंशन योजना में नियोक्ताओं के पूर्ण अंशदान का भुगतान मंत्रालय द्वारा किया गया है;

(ख) इसके लिए भुगतान की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान कितने नए कर्मचारियों को रोजगार दिया गया है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) से (ग): 01.04.2016 से 31.03.2019 तक प्रधान मंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना (पीएमआरपीवाई) के अंतर्गत लाभान्वित कर्मचारियों की कुल संख्या 1.18 करोड़ है। इसका वर्ष-वार ब्यौरा निम्नानुसार हैः

वर्ष	लाभान्वित कर्मचारी
2016-17	33031
2017-18	3025084
2018-19	8746888
योग	**11805003**

01.04.2016 से 31.03.2019 तक भुगतान की गई धनराशि 4370.60 करोड़ रुपए है।

*****

भारत सरकार
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2796

बुधवार, 17 जुलाई, 2019/26 आषाढ़ 1941(शक)

कामगारों की न्यूनतम मजदूरी में वृद्धि किया जाना

2796. श्रीमती कान्ता कर्दम:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की विभिन्न व्यवसायों के कामगारों की न्यूनतम मजदूरी में वृद्धि करने की कोई योजनाएं हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में श्रमिक संघों से परामर्श किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा देश में कामगारों के कल्याण और सामाजिक सुरक्षा के लिए उठाए जा रहे अन्य कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) से (घ): न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के उपबंधों के अंतर्गत, केन्द्रीय और राज्य दोनों सरकारें अपने-अपने संबंधित अधिकार क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाले अनुसूचित रोजगार में नियोजित कामगारों की न्यूनतम मजदूरी नियत करने, समीक्षा करने तथा परिशोधित करने के लिए समुचित सरकारें हैं। केन्द्रीय क्षेत्र में निर्धारित दरें केन्द्रीय सरकार के प्राधिकार के अधीन प्रतिष्ठानों, रेल प्रशासन, खानों, तेल-क्षेत्रों, मुख्य पत्तन या केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित किसी निगम पर लागू हैं। केन्द्रीय क्षेत्र के लिए अनुसूचित रोजगार से इतर रोजगार राज्य सरकार के अधिकार-क्षेत्र में आता है तथा तदनुसार राज्य सरकार की मजदूरियां इन रोजगारों पर लागू होती हैं।

जारी.....2/-

केंद्रीय सरकार ने न्यूनतम मजदूरी सलाहकार बोर्ड (एमडब्ल्यूएबी), जो एक त्रिपक्षीय निकाय है और इसमें ट्रेड यूनियनें शामिल हैं, के साथ परामर्श करके कृषि, सन्निर्माण गैर-कोयला खानों, पत्थर खदानों, साफ-सफाई, पहरा एवं निगरानी और लदाई एवं उतराई के लिए मूल न्यूनतम मजदूरी 19.01.2017 को संशोधित की है।

(ङ): सदस्यों के लाभ के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) द्वारा उठाए गए कदम :

- ऑनलाइन एवं उमंग एप्प आधारित दावे फाइल करना। सदस्य अपने दावे की स्थिति को ऑनलाइन देख सकते हैं।
- पेंशनभोगी पोर्टल और 65.60 लाख पेंशनभोगियों के लिए 'जीवन प्रमाणन' डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र की सुविधा।
- खाता लेनदेन के लिए सदस्यों को एसएमएस से सूचित करना।
- ऑनलाइन नामांकन (ई-नामांकन), उमंग एप्प तथा ईकेवाईसी पोर्टल के माध्यम से आधार के साथ यूएएन को जोड़ना।
- सदस्य की मृत्यु हो जाने की स्थिति में कर्मचारी निक्षेप-संबद्ध बीमा लाभ को बढ़ाकर अधिकतम 6 लाख रुपये और न्यूनतम 2.50 लाख रुपये किया गया।

कामगारों के कल्याण के लिए कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) द्वारा उठाए गए कदम :

- बीमित व्यक्तियों और (या) उनके परिवार को कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के अंतर्गत चिकित्सा लाभ एवं नकद लाभ प्रदान करके सामाजिक सुरक्षा दी जाती है।

****

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2801

बुधवार, 17 जुलाई, 2019/26 आषाढ़, 1941 (शक)

कर्मचारियों के वेतनों में से काटी गई भविष्य निधि और कर्मचारी राज्य बीमा राशि का जमा न किया जाना

2801. श्रीमती विजिला सत्यानंत:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि बहुत से नियोक्ता कर्मचारियों के वेतनों में से काटी गई भविष्य निधि और कर्मचारी राज्य बीमा की धनराशि को समुचित रूप से जमा नहीं करवा रहे थे;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस वजह से नियोक्ताओं के पास अत्यधिक राशि बकाया है; और

(ग) सरकार ने नियोक्ताओं से यह धनराशि प्राप्त करने के लिए क्या-क्या कदम उठाए हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) से (ग): वर्ष 2018-19 के लिए भविष्य निधि (पीएफ) के अंतर्गत बकाया राशि की मांग, इसकी उगाही तथा शेष (पिछला शेष) राशि का ब्यौरा निम्नानुसार है:

(करोड़ रुपये में)

बकाया राशि की मांग	1251.44
वसूली गई राशि	459.81
पिछला शेष	791.63

पीएफ के अंतर्गत बकायों की वसूली करने के लिए, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध (ईपीएफ तथा एमपी) अधिनियम, 1942 की धारा 8ख और 8छ के अंतर्गत विभिन्न उपाय किए जाते हैं, जो इस प्रकार हैं:-

(i) प्रतिष्ठान या नियोजक, जैसा भी मामला हो, की चल या अचल सम्पत्ति की कुर्की और बिक्री;

(ii) नियोजक की गिरफ्तारी और जेल में कैद;

(iii) प्रतिष्ठान या नियोजक, जैसा भी मामला हो, की चल या अचल सम्पत्तियों के प्रबंधन हेतु अभिग्राही की नियुक्ति।

चूककर्ता नियोजकों के विरुद्ध समुचित न्यायालय के समक्ष अभियोजन मामले दायर करने के लिए कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 की धारा 14 के अंतर्गत आगे की कार्रवाई(की जाती है)।

जारी---/2-

इसी प्रकार, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 की धारा 45 ग से 45 झ के प्रावधानों के अनुसार चूककर्ता नियोजकों से राशि के वसूली के लिए उपाय किए जाते हैं।

कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 और भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के अनुसार चूककर्ता इकाईयों/नियोजकों के विरूद्ध अभियोजन मामले भी दायर किए जाते हैं। 31.03.2018 की स्थिति के अनुसार ईएसआईसी के अधीन चूककर्ता नियोजकों के विरूद्ध कुल 1007 अभियोजन मामले लंबित हैं।

******

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3595

बुधवार, 24 जुलाई, 2019 /2 श्रावण, 1941 (शक)

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों में संकट के कारण कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के निवेश पर प्रभाव

3595. श्री जोस के. मणि:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों में संकट से उत्पन्न भुगतान में चूक के कारण निजी क्षेत्र के बॉन्ड में निवेश रोकने का निर्णय लिया है;

(ख) क्या कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के पोर्टफोलियो प्रबंधकों ने ईपीएफओ की निधि के निवेश के लिए बॉन्ड का चयन करते समय रेटिंग करने वाली चार एजेंसियों यथा, सीआरआईएसआईएल: क्रेडिट रेटिंग्स इनफॉरमेशन सर्विस ऑफ इंडिया लिमिटेड, सीएआरई रेटिंग्स, आईसीआरए और इंडिया रेटिंग्स एन्ड रिसर्च में से कम से कम तीन एजेन्सियों से मिली क्रेडिट रेटिंग का कड़ाई से पालन किया है; और

(ग) वर्तमान में कितनी क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां बाजार विनियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के अंतर्गत पंजीकृत हैं और ईपीएफओ निवेशों के लिए न्यूनतम रेटिंग्स का मानदंड क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क): कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) द्वारा निवेश सरकार द्वारा अधिसूचित निवेश स्वरूप के अनुसार और बाजार की स्थितियों को ध्यान में रखते हुए किया जाता है।

(ख) ईपीएफओ अपनी निधियों का निवेश केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित निवेश स्वरूप के अनुसार करता है। इस निवेश स्वरूप में भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (सेबी) के पास पंजीकृत कम से कम दो क्रेडिट एजेंसियों के साथ केवल ऐसी प्रतिभूतियों में निवेश करने की अनुमति होती है। इसके अलावा अपेक्षित दो रेटिंग्स में से एक अनिवार्यत: चार क्रेडिट एजेंसियों (सीआरए) अर्थात सीआरआईएसआईएल, सीएआरई, आईसीआरए और इंडिया रेंटिंग्स की होनी चाहिए।

(ग): सूचना एकत्र की जा रही है और उसे सदन के सभा पटल पर रख दी जाएगी।

******

भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-3609
बुधवार, 24 जुलाई, 2019/2 श्रावण, 1941 (शक)

विशेष भर्ती अभियान

3609. कुमारी शैलजाः

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार देश में बेरोजगारी की स्थिति से निपटने के लिए विशेष भर्ती कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है;

(ख) क्या इस संबंध में प्रधान मंत्री के तरफ से सभी मंत्रालयों/विभागों को कोई निर्देश जारी किये गये हैं;

(ग) क्या सरकार सरकारी सेवाओं में रिक्त पदों को भरने की मंशा रखती है;

(घ) क्या सरकार उपर्युक्त को क्रियान्वित करने के लिए सीधी भर्ती और पदोन्नति की प्रणाली अपनाने की भी मंशा रखती है;

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या उपलब्धि हासिल की गई है; और

(च) क्या इस संबंध में राज्य सरकारों ने भी कोई दिशानिर्देश जारी किया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) से (घ): केंद्रीय सरकार में रिक्तियां सेवानिवृत्ति, मृत्यु, पदोन्नति आदि के कारण उत्पन्न होती हैं तथा रिक्त हुए पदों को संबंधित मंत्रालय/विभाग/संगठन द्वारा भर्ती नियमों के अनुसार भरा जाना अपेक्षित है। रिक्त पदों को भरना एक सतत प्रक्रिया है, जो वर्ष के दौरान मंत्रालयों/विभागों में उत्पन्न होने वाली रिक्तियों तथा भर्ती अभिकरणों के कार्रवाई कैलेंडर पर निर्भर करता है।

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीएंडटी) ने विभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी) की बैठकों का समय पर आयोजन करने के लिए मॉड्ल कैलेंडर निर्धारित करते हुए तथा यह सुनिश्चित करने हेतु कि अनुमोदित चयन पैनल रिक्ति वर्ष के प्रारंभ की तिथि पर तैयार हों, के लिए अपने दिनांक 08.05.2017 के कार्यालय ज्ञापन (ओएम) संख्या 22011/4/2013-स्था.(घ) द्वारा अनुदेश जारी किए हैं। डीओपीएंडटी के दिनांक 19.12.2016 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 39020/18/2016-स्था.(ख)/3127101 द्वारा प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों को भी सीधी भर्ती वाले पदों के संबंध में संबंधित भर्ती अभिकरणों, अर्थात् संघ लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग आदि को रिक्ति की स्थिति भेजने का परामर्श दिया गया है, जिससे समयबद्ध तरीके से ऐसी रिक्तियों को भरा जा सके।

(ङ): इससे संबंधित आंकड़ों का रख-रखाव केंद्रीय रूप से नहीं किया जाता है। तथापि, 2014-2019 के दौरान संघ लोक सेवा आयोग एवं कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से अभ्यर्थियों को 2,45,470 सरकारी रिक्तियां/रोजगार प्रस्तुत किए गए। इन दो भर्ती अभिकरणों के अलावा अन्य अभिकरण भी हैं, जैसे रेलवे भर्ती बोर्ड, बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान (आईबीपीएस) आदि, जो सरकारी रिक्तियों/रोजगार हेतु भर्ती करते हैं।

(च): राज्य सरकारें अपनी आवश्यकताओं एवं अपने भर्ती नियमों के अनुसार राज्य की रिक्तियों के लिए भर्ती करती हैं।

*****

भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3612

बुधवार, 24 जुलाई, 2019 / 2 श्रावण, 1941 (शक)

उद्योगों और व्यावसायिक फर्मों द्वारा मौजूदा श्रम कानूनों का दुरुपयोग

3612. श्री संजय राउत:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि देश में कई उद्योग और व्यावसायिक फर्में मौजूदा श्रम कानूनों का दुरुपयोग कर रही हैं और इसका अनुपालन नहीं कर रही हैं;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है; और
(ग) सरकार द्वारा मजदूरों/कर्मचारियों के फायदे के लिए देश में मौजूदा श्रम कानूनों में संशोधन करने के लिए उठाए गए/उठाए जाने के लिए प्रस्तावित कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) से (ग): "श्रम" समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। केन्द्र और राज्य सरकारें संबंधित श्रम कानूनों के अनुसार कार्रवाई करती हैं। उद्योगों और व्यावसायिक फर्मों द्वारा श्रम कानूनों का दुरुपयोग किए जाने की कोई ऐसी घटना रिपोर्ट नहीं की गई है। तथापि, श्रम कानूनों के उल्लंघन की स्थिति में चूककर्ता के विरूद्ध विधिक कार्रवाई शुरू की जाती है। मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) का कार्यालय अपने क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से तथा राज्य श्रम तंत्र अपने-अपने संबंधित अधिकार क्षेत्र में उद्योगों और व्यावसायिक फर्मों द्वारा कानूनों की अनुपालना सुनिश्चित करने हेतु विभिन्न श्रम कानूनों के अंतर्गत नियमित निरीक्षण करते हैं।

मंत्रालय ने वर्तमान केंद्रीय श्रम कानूनों के संगत प्रावधानों का सरलीकरण, समामेलन करके एवं तर्कसंगत बनाकर चार श्रम संहिताओं नामत: मजदूरी संहिता, औद्योगिक संबंध संहिता, सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण संहिता; और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कामकाजी दशाएं संहिता का प्रारूप तैयार करने के लिए कदम उठाए हैं। इन श्रम संहिताओं में सभी 50 करोड़ कामगारों के लिए न्यूनतम मजदूरी का विस्तार करने और समय पर भुगतान करने, नियुक्ति पत्र, वार्षिक चिकित्सा जांच, कामगारों के लिए शिकायत निवारण तंत्र, और सुरक्षा एवं अन्य कल्याणकारी उपायों के प्रावधान की परिकल्पना की गई है।

******